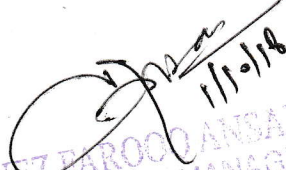


सहमति पत्र

M/S Vindhya Telelinks Limited द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु 30 प्र० शासनादेश संख्या जी० आई० 100(1)14-22005-61/2000 दिनांक 23 फरवरी 2006 एवं भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या एफ० एल० - 11-268/2014- एफ. सी. दिनांक 11.07.2014 के निर्देशों के अनुरूप सशर्त निम्न प्रतिबंधों पर सहमती दी जाती है

१. कार्य के दौरान किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा
२. ऑप्टिकल फाइबर केबिल मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकाधिकार में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाई जाएगी
३. केबिल डालने के लिए खोदे जाने वाली ट्रंच-HDD तकनीकी द्वारा किया जाना है विवरण सलग्न पेज () पर है
४. भूमि उपयोग के बाद उसको मूल रूप में लेन एवं वन व पर्यावरण को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति का उत्तरदायित्व M/S Vindhya Telelinks Limited का होगा
५. M/S Vindhya Telelinks Limited द्वारा अनुरक्षण कार्यों के लिए विभाग से पूर्व अनुमति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी
६. वन विभाग के उच्च अधिकारियों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजकीय हित में लिया गया निर्णय स्वीकार होगा


PARVEZ PAROO ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR